प्रेषक,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी
प्रतागढ़।

पत्रॉकः–001/जीओ.22/लेखा.डीआरडीए/2014–15 दिनांकः: 21,मार्च, 2015

विषयः जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (प्रशासन) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए जनपद प्रतापगढ़ हेतु शार्टफाल की धनराशि रू0 14.02 लाख की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–डी0 104/38–2–2015–2(65)डी/2013 दिनांक 18 मार्च, 2015 (छाया प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में जनपद–प्रतापगढ़ हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण(प्रशासन) योजनान्तर्गत हुई शार्टफाल की धनराशि रू0 14.02 लाख (रू0 चौदह लाख दो हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2501–ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–01–समेंकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–02 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन–0202–जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (के. 75/रा. 25–के.+रा.) –31–सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन)" मे उपलब्ध बजट प्राविधान के सापेक्ष प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृत धनराशि संलग्न आवंटन ग्रिड के अनुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपको आवंटित की जा रही है।

1– प्रश्नगत धनराशि के आहरण में समय–समय पर जारी शासनादेशों/वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन मद योजनान्तर्ग भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण वितरण के लिए संबंधित जनपदों के वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त नियंत्रक व लेखाधिकारी यथास्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होंगे यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है तो इसकी सूचना इस कार्यालय को दी जायेगी।

2– आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य सरकार एवं भारत सरकार को समयान्तर्गत प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि 31 मार्च, 2015 को समर्पित कर दी जायेगी।

3– उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर आयोजनागत के पृष्ठ संख्या–215 पर कर ली गई है।

4– आवंटित धनराशि के आहरण की सूचना बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित आहरण के अगले माह की 5 तारीख तक इस कार्यालय के लेखा अनुभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार

भवदीय,

(कामरान रिजवी)
आयुक्त
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

कृ0पृ0–2/–

पत्रांक-001/जीओ.22/लेखा.डीआरडीए/2014-15 उक्त तिथि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0शासन।

4- जनपद प्रतापगढ़ जिलाधिकारी/जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश ।

5- जनपद प्रतापगढ़ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6- जनपद प्रतापगढ़ मुख्य/वरिष्ठ/वित्त एवं लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो,जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/(व्यय नियंत्रण)अनुभाग-2/राज्य योजना आयोग-1 एवं 2 तथा नियोजन अनुभाग-3।

8- संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास, अनु0-2 उ0प्र0 शासन को शासनादेश संख्या-डी0104/38-2-2015-2(65)डी/2013 दिनांक 18 मार्च, 2015 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

(राजीव कुमार सिन्हा)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास,उ0प्र0।

## Allotment Grid Report

**वित्तीय वर्ष:-2014-2015**
**आवंटन दिनांक-21/03/2015**

**प्रेषण संख्या:-** G.O.22

**आवंटन आदेश संख्या:-** 001-G.O.22.lekha.drda.2014.15

**अनुदान संख्या:-** 13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)

**लेखाशीर्षक:-** 2501 - ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम(आयोजनागत-मतदेय)
01 - समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम
800 - अन्य व्यय
02 - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
02 - जिला ग्राम्य विकास अभिकरण

**(धनराशि रु. में)**

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रतापगढ़-2253-जिलाधिकारी द्वारा नामित अधि0 , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 1402000<br>5738700 | 1402000<br>5738700 |
| | योग | वर्तमान<br>प्रगामी | 1402000<br>5738700 | 1402000<br>5738700 |

**महायोग-** (वर्तमान आवंटन):- रूपया चौदह लाख दो हजार

**महायोग-** (प्रगामी आवंटन):- रूपया सत्तावन लाख अड़तीस हजार सात सौ

(राजीव कुमार सिन्हा)
**अपर आयुक्त- लेखा**

संख्या–8104/38–2–2015–2(65)डी/2013

प्रेषक,

प्रभात कुमार श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 18 मार्च, 2015

विषयः– जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिये जनपद प्रतापगढ़ हेतु शार्टफाल की धनराशि रूपये 14.02 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–49–ए/लेखा/डी0आर0डी0ए0/2014–15 दिनांक 09–01–2015 एवं पत्र संख्या–428/लेखा/डी0आर0डी0ए0/2014–15 दिनांक 16 मार्च, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए जनपद प्रतापगढ़ हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन योजनान्तर्गत शार्टफाल की धनराशि रू0 14.02 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, प्रतापगढ़ में हुई शार्टफाल की धनराशि रू0 14.02 लाख (रू0 चौदह लाख दो हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2501–ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–01 समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–02 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन–0202–जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (के.75/रा.25–के.+रा.) –31 सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन)" में उपलब्ध बजट प्राविधान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3– प्रश्नगत धनराशि के आहरण में समय–समय पर जारी शासनादेशों/वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, प्रशासन मद योजनान्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण–वितरण के लिये सम्बन्धित जनपदों के वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त नियंत्रक व लेखाधिकारी यथा स्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होगें। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है तो इसकी सूचना आयुक्त, ग्राम्य विकास को दी जायेगी।

भवदीय,

( प्रभात कुमार श्रीवास्तव )
संयुक्त सचिव।

**संख्या–2104 (1)/38–2–2015 तद्दिनांक।**

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3) अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) मण्डलायुक्त, इलाहाबाद, जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।
(5) कोषाधिकारी, प्रतापगढ़/मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़।
(6) वित्त (आय–व्ययक) अनु0–2/राज्य योजना आयोग–1/2 तथा नियोजन अनु0–3
(7) ग्राम्य विकास अनु0–3
(8) निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
(9) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

**(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)**
संयुक्त सचिव।